भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3711
बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएम-कुसुम</u>

3711. श्री जयन्त बसुमतारीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में ब्यौरा क्या है;

(ख) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों की स्वीकृत और संस्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम में विशेष रूप से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के लिए इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर पंपों में से कोई भी संस्थापित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा संस्थापित किए गए पंपों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को इस योजना के बारे में जागरूक करने के लिए आयोजित किए गए जागरूकता अभियानों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पीएम-कुसुम एक माँग आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा सूचित की गई स्थापना की प्रगति के आधार पर और योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार धनराशि जारी की जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के राज्यों सहित पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएम-कुसुम योजना के तहत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) असम राज्य द्वारा की गई माँग के अनुसार, योजना के घटक-क के अंतर्गत राज्य को कुल 10 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं। तथापि, राज्य ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी स्थापना प्रगति की सूचना नहीं दी है।

(ग) असम राज्य द्वारा उठाई गई मांग के अनुसार, योजना के घटक बी के अंतर्गत कुल 4,000 सौर पंप आवंटित किए गए हैं। तथापि, राज्य ने निविदा में विलंब के कारण अब तक कोई स्थापना न हो पाने की सूचना दी है।

(घ) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको) की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम-कुसुम योजना के तहत असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में 32 स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया और होर्डिंग्स लगाए गए हैं।

<u>अनुलग्नक</u>

'पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएम-कुसुम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3711 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>पिछले 5 वर्षों तथा चालू वर्ष में पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का विवरण</u>
<u>(दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार)</u>

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25 (30.11.2024 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.82	2.12	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
7	गुजरात	0.00	3.95	0.00	7.83	28.72	5.15
8	हरियाणा	0.00	51.33	161.12	137.95	429.78	198.39
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	2.80	0.00	5.85	0.00	3.13
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	15.69	0.00	0.00
11	झारखंड	0.00	16.05	0.00	20.04	2.36	49.62
12	कर्नाटक	0.00	1.26	0.00	0.00	2.38	81.25
13	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	28.53	0.07
14	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मध्य प्रदेश	71.07	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	9.60	247.60	330.21	1136.31
17	मणिपुर	0.00	0.36	0.00	0.23	0.17	0.00
18	मेघालय	0.00	0.28	0.00	0.00	0.31	0.00
19	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.20	0.18	0.16
21	ओडिशा	0.00	0.77	0.00	0.00	7.69	0.00
22	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	पंजाब	0.00	8.28	23.70	31.11	5.41	13.09
24	राजस्थान	68.98	52.06	153.49	247.63	49.41	280.01
25	तमिलनाडु	11.21	0.00	20.30	0.00	2.59	3.38
26	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	त्रिपुरा	0.00	3.96	7.36	0.12	17.81	0.00
28	उत्तर प्रदेश	0.00	15.34	13.73	82.30	92.13	91.66
29	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	24.08
30	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	151.26	156.43	389.29	801.36	1,000.58	1,889.28

*****